



संख्या :

/जी०एस०(शिक्षा) / A3-130 / 2021

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय: उत्तराखण्ड
महोदय,

देहरादून: दिनांक: १८, अक्टूबर, 2021

कृपया अपने पत्र संख्या: 1890 के ०५००/मान्यता/सम्बद्धता/2020-21 दिनांक 21 अगस्त, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा इस्पिरेशन कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, पौलीशीट, काठगोदाम, नैनीताल को बी०ए३० पाठ्यक्रम में 100 सीटों के साथ शैक्षिक सत्र 2020-21 की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-३७(२) के अन्तर्गत उक्त संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा० कुलाधिपति द्वारा कार्यात्मक स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है:-

| क्र० | महाविद्यालय/संस्थान का नाम | पाठ्यक्रम का नाम | प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार) | अस्थायी सम्बद्धता की अवधि |
|------|---|------------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | इस्पिरेशन कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, पौलीशीट, काठगोदाम, नैनीताल। | बी०ए३० | 100 सीट | सत्र 2020-21 |

1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, य०जी०सी० विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करे व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

2- विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, कार्यपरिषद् की आवश्यकता व विश्वसनीयता के दृष्टिगत संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व छात्रहित में य०जी०सी०/राज्य वि०वि० अधिनियम-1973 तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी।

3- विश्वविद्यालय संस्थान को सत्र 2020-21 की सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने से पूर्व प्रश्नगत पाठ्यक्रम हेतु मानकानुसार फैकल्टी की उपलब्धता सुनिश्चित कर ले।

4- अग्रेतर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव सम्मय निर्धारित सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।

तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या: २०९२ (१)/जी०एस०(शिक्षा) / A3-130 / 2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक, इस्पिरेशन कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, पौलीशीट, काठगोदाम, नैनीताल।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा सं

४/१८

(एन०के० पोखरियाल)
कुलाधिपति के उपसचिव।